

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 125
गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/06 श्रावण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

125. डा. प्रशांत नन्दा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए आबंटित और संवितरित धनराशि और इन कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाई गई राशि के हिस्से का योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पूर्ववर्ती समय सीमा के भीतर कितने पर्यटक गंतव्य तैयार किए गए?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

पर्यटन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में दिनांक 28.07.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 125 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

(क): पर्यटन मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित केवल एक योजना यथा 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य' का कार्यान्वयन करता है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से 'मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटक गंतव्य' हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य' लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल 27.98 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई थी जिसका वितरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में तय हुआ था जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 16.79 करोड़ रु. का बनता है।

(ख) और (ग): 16.79 करोड़ रु. के केंद्र सरकार के हिस्से में से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को पहली किस्त के रूप में 6.24 करोड़ की राशि जारी की गई है। उपरोक्त योजना पर्यटक गंतव्यों के सृजन से संबंधित नहीं है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं अध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन- प्रशाद' और 'अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु उनके परामर्श से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" (डीपीपीएच) तथा "बाजार विकास सहायता सहित विदेशों में संवर्धन और प्रचार" (ओपीएमडी) योजनाओं के माध्यम से समग्र रूप से भारत का संवर्धन करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

पर्यटन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में दिनांक 28.07.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 125 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में **विवरण**

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष - 2019-20	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
स्वदेश दर्शन	1106.00	566.00	565.93
प्रशाद: तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान	160.50	145.00	144.71
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	91.00	70.00	71.94
विदेशों में संवर्धन और प्रचार की पुनर्संरचित योजना	446.20	312.39	312.04
आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	129.50	100.00	99.63

वित्तीय वर्ष. - 2020-21	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
स्वदेश दर्शन	1200.00	600.00	560.76
प्रशाद: तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान	207.55	125.00	124.79
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	80.00	80.00	68.98
विदेशों में संवर्धन और प्रचार की पुनर्संरचित योजना	450.00	115.00	108.09
आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	140.00	63.33	33.89
महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य	0.00	6.25	6.26

वित्तीय वर्ष - 2021-22	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
स्वदेश दर्शन	630.00	262.00	261.36
प्रशाद: तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान	153.00	150.95	149.99
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	90.00	90.00	79.56
विदेशों में संवर्धन और प्रचार की पुनर्संरचित योजना	524.02	89.00	9.42
आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	144.70	60.00	40.00
महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य	5.27	5.27	0.00
